कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-368/2023 दिनांक-18.11.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना कोतवाली

ग्राम मनचोभा में घटित हत्या की घटना में 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार; अवैध असलहा, कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू व बुलेट मो0 सा0 बरामद

पूर्व की घटना- वादी मुकदमा दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्यामधारी निवासी मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र जिसमें वादी का लड़का सूरज कुमार उम्र 24 वर्ष दिनांक- 11.11.23 को 7.30 बजे बलरामपुर शराब ठेके के पास अपने दोस्त आमीर पुत्र कासिम ग्राम मनचोभा व एक अन्य व्यक्ति के साथ मौजूद थे। पिता दिनेश कुमार जब घर चलने के लिए बोले तो सूरज कुमार बताया कि मैं आमीर के साथ घर आ जाऊंगा। कुछ देर बाद दिनेश के फोन करने पर सूरज कुमार ने अपने पिता को बताया कि मुझे आमीर व उनके दोस्त किशुनदासपुर ले जा रहे है और फोन कट गया। दिनांक 13.11.23 को तमसा नदी ग्राम ककरहटा में शव मिलने पर वादी दिनेश कुमार द्वारा शिनाख्त करने के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 14.11.23 को मु0अ0सं0 650/23 धारा 302,201 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम आमीर पुत्र कासीम उर्फ चुन्ने खाँ निवासी मनचोभा व एक अन्य व्यक्ति थाना कोतवाली पर पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण(पुलिस मुठभेड़)-

दिनांक- 17.11.2023 को **समय करीब 22.32 बजे** प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शशि मौली पाण्डेय मय हमराह द्वारा हाफिजपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर **मनचोभा गाँव की तरफ जानें वाले सिक्स लेन बाईपास** पर पहुँचकर आनें वाले बदमाशों का इंतजार करनें लगे। कुछ समय बाद दो बदमाश एक मोटर साइकिल पर आते दिखाई दिये कि पुलिस वाले रोकने का प्रयास किया तो मोटर साइकिल मोड़कर भागना चाहे कि फिसलकर गिर गये तथा दोनों बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, पर्याप्त चेतावनी के पश्चात पुलिस द्वारा नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है।

➡ **पहले बदमाश** की पहचान **मो0 आमिर** पुत्र कासिम उर्फ चुन्ने खाँ निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई जिसके बाये पैर में गोली लगी है तथा **दुसरे बदमाश** की पहचान **अंकुश यादव** पुत्र रामबदन यादव निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के रूप में की गयी जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशो को इलाज हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है।

➡ अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमंचा, 03 खोखा कारतूस, 02 मिस कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त 01 आलाकत्ल चाकू व 01 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 656/23 धारा 307 भादवि व 3 /25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त मो0 आमिर ने बताया कि मैं, अंकुश यादव व सूरज तीनो अच्छे दोस्त थे। सूरज मेरी बहन पर गंदी निगाह रखता था व वाट्सएप्प से चैटिंग करता था, मैंने सूरज को कई बार समझाया लेकिन उसके अन्दर कोई सुधार नही हुआ। मैने अपने दोस्त अंकुश यादव के साथ मिलकर सूरज की हत्या करने की योजना बनाई। उसी योजना के तहत दिनांक- 11.11.2023 को हाफिजपुर चौराहा के देशी ठेके पर मैं और अंकुश यादव शराब पी रहें थे। उसी समय सूरज भी आ गया। हम तीनो बैठकर शराब पीये, जब सूरज नशे में हो गया तो मैं और अंकुश पूर्व योजना के तहत सूरज की हत्या करने के लिए बुलेट मो0 सा0 पर बीच में बैठाकर ग्राम मनचोभा के पास स्थित शिव मंदिर से आगे जंगल में ले जाकर आम के पेड़ के पास लिटाकर चाकू से पेट व गले पर वार करके हत्या कर दिये। उसके बाद हम दोनो ने मिलकर शव को पास में ही तमसा नदी में ले जाकर फेंक दिये।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 656/23 धारा 307 भादवि व 3 /25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 656/23 धारा 307 भादवि व 3 /25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 650/23 धारा 302,201 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मो0 आमिर पुत्र कासिम उर्फ चुन्ने खाँ निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. अंकुश यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण-

1- घटना में प्रयुक्त आला कत्ल 01 चाकू व 01 बुलेट मो0सा0

2- 02 अवैध देशी तमंचा, 03 खोखा कारतूस, 02 जिंदा कारतूस मिस फायर 02 जिंदा कारतूस .315 बोर,

गिरफ्तार करने वाली टीम- प्र0नि0 कोतवाली शशि मौलि पाण्डेय, उ0नि0 संजय तिवारी, उ0नि0 अतीक अहमद, हे0कां0 विनीत दूबे, हे0कां0 धर्मेन्द्र यादव, कां0 आशीष यादव, कां0 कृष्णानन्द भारती, कां0 अभयराज पासवान, थाना कोतवाली आजमगढ़ व मु0आ0 यसवन्त सिंह सर्विलांस आजमगढ़

थाना-मुबारकपुर

पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25000/- रूपये के 02 इनामिया गौ-तस्कर तथा गैंग्स्टर मे वांछित के अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार; 01 इनामिया के दाहिने पैर में लगी गोली ।

पूर्व की घटना– दिनांक 27.09.2023 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर राजेश कुमार द्वारा अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट के आधार के आधार पर अभियुक्त 1. सलीम नट पुत्र जलील अहमद 2. मोहम्मद अली पुत्र जलील नट निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ व 3. सुरेन्द्र यादव पुत्र रामसनेही निवासी मोइनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ 4. सन्दीप गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता पुत्र पकडू गुप्ता उर्फ श्यामनरायण निवासी करीमाबाद मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ का एक सुसंगठित गैंग है एवं **गैंग का मुखिया सलीम नट** उपरोक्त है । जो गैंग का संचालन करता है। यह गैंग अपने व अपने साथियो के तथा परिवार जन के भौतिक व आर्थिक दुनियाबी लाभ हेतु प्रतिबंधित मांस के क्रय विक्रय के कारोबार मे लिप्त है, इनके आपराधिक गतिविधियो पर अंकुश लगाने हेतु थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 468/2023 थाना 3(1) गैंग्स्टर एक्ट 1. सलीम नट पुत्र जलील अहमद आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया। जिसमें अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र रामसनेही निवासी मोइनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ व मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त सलीम नट पुत्र जलील अहमद निवासी ग्राम मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ व सन्दीप गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता पुत्र पकडू गुप्ता उर्फ श्यामनरायण निवासी करीमाबाद मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ वांछित चल रहे थे। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पूर्व में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25-25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक- 18.11.2023 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर राजेश कुमार मय हमराह को सूचना प्राप्त हुई कि गौ-तस्करी करने वाले दो इनामिया अपराधी मुहम्मदाबाद की तरफ से आने वाले है जो अपने गैंग के साथी सुरेन्द्र यादव के गाँव ग्राम मोइनाबाद जायेंगे। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर पुलिस बल के साथ **देवकली तारन मोड़** पर पहुंच कर चेकिंग करने लगे। कुछ देर बाद एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति आये जिनको टार्च की रोशनी से रोकने का प्रयास किया गया तो तेज गति से भागने लगे और असंतुलित होकर गिर गये और पैदल ही भागने लगे। झाड़ियों की आड़ लेकर पुलिस पार्टी पर फायर करने लगे, जवाबी पुलिस कार्यवाही मे एक बदमाश घायल हो गया जिसके दाहिने पैर मे गोली लगी है। **घायल बदमाश की पहचान** सलीम नट पुत्र जलील अहमद निवासी ग्राम मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ के रूप में की गयी जो गैंग का लीडर है तथा उसका साथी गैंग का सदस्य सन्दीप गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता पुत्र पकडू गुप्ता उर्फ श्यामनरायण निवासी करीमाबाद मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को **समय करीब 06.05 बजे** हिरासत पुलिस मे लिया गया। घायल बदमाश को इलाज हेतु सीएचसी मुबारकपुर भेजा गया ।

➡ अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व एक मिस कारतूस .315 बोर तथा 01 मोटर साइकिल बरामद किया गया।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 559/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया की हम लोगो का एक गैंग है हम लोग मिलकर रात्रि में गौतस्करी करते है और यदि कोई व्यक्ति रोकने कि कोशिश करता है तो हम लोग जान से मारने के लिये असलहा दिखाकर धमका देते है व जरुरत पड़ने पर हवाई फायर भी करते है । पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं गौतस्करी हम लोगो का पेशा है आज सुबह अपने साथी सुरेन्द्र यादव से मिलने जा रहे थे कि आप लोगो के द्वारा हम लोगो को पकड़ लिया गया है।

पंजीकृत अभियोगः-

1-मु0अ0सं0- 559/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आयुध अधि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-सलीम नट पुत्र जलील अहमद निवासी ग्राम मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ **(घायल अभियुक्त)**

2- सन्दीप गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता पुत्र पकडू गुप्ता उर्फ श्यामनरायण निवासी करीमाबाद मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ

बरामदगीः-

1- 02 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व एक मिस कारतूस .315 बोर
2- 01 मो0 साइकिल

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सलीम नट-

- 154/2022 धारा 3/5ए/8 गौ-वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
- मु0अ0सं0 300/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
- मु0अ0सं0 468/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
- मु0अ0सं0 559/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आयुध अधि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
- मु0अ0सं0 07/2019 धारा 379/411 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ
- मु0अ0सं0 287/2018 धारा 379 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संदीप गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता

- मु0अ0सं0 83/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ
- 154/2022 धारा 3/5ए/8 गौ-वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
- मु0अ0सं0 468/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
- मु0अ0सं0 559/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आयुध अधि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
2. उ0नि0 संजय कुमार सिंह प्रभारी चौकी कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
4. हे0का0 तेजबहादूर यादव, का0 बुटाई शाह, का0 नीरज यादव, का0 शैलेष यादव, का0 सत्यम सिंह, का0 अनिरूद्ध यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
5. स्वाट टीम प्रभारी श्रीप्रकाश शुक्ला, हे0का0 विनोद कुमार सरोज, हे0का0सतेन्द्र यादव,का0 अभिमित तिवारी, हे0का0 अवधेश यादव, हे0का0 उमेश यादव, का0 संजय सिंह